CUS/SIIB/MISC/193/2023-SIIB-O/o-COMMR-CUS-COCHINI/1099259/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह,विल्लिंग्डन आईलेंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422
E-mail: cochincustoms@nic.in Fax: 0484-2668468

DIN-20230358MB0000000C83 दिनांक Date : 29.03.2023

स्थायी आदेश संख्या Standing Order No. 03/2023

विषय: कोचिन कूरियर टर्मिनल पर एक्सप्रेश कार्गो क्लियरेंस सिस्टम(ई सी सी एस) का कार्यान्वयन- के संबंध में।

Subject: Implementation of Express Cargo Clearance System (ECCS) at Cochin Courier Terminal – reg.

अधिकारियों का ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 04/2021 दिनांक18.02.2021 की ओर आकर्षित किया जाता है। जिसमें एक्सप्रेस क्लियरेंस सिस्टम(ई सी सी एस) के अंतर्गत सी बी ई/सी एस बी के प्रस्तुतीकरण तथा प्रसंस्करण की प्रक्रिया दर्शाई गई हैं।

Attention of the Officers is invited to Public Notice No.04/2021 dated 18.02.2021 prescribing procedure for presenting and processing of the CBEs/CSBs under Express Cargo Clearance System (ECCS).

2. यह पाया गया है कि, प्राधिकृत कूरियर, कूरियर बिल ऑफ एंट्री को प्रस्तुत करते समय सभी वस्तुओं को कॉलम19 (IV) में एक साथ प्रविष्ट कर देते हैं जो "माल के विवरण" के लिए निर्दिष्ट होती है तथा अधिकारी बिल ऑफ एंट्री का उसी फार्मेट में मूल्यांकन कर रहे हैं। सार्वजनिक सूचना 04/2021 दिनांक 18.02.2021 कॉलम 18 में प्रत्येक एच ए डब्ल्यू बी(HAWB) में शामिल वस्तुओं की संख्या को अलग से प्रविष्ट करने के लिए वस्तुवार विवरण के भरे जाने का विकल्प प्रदान करता है।

It is noticed that the authorized Couriers while presenting the Courier Bill of Entry enter all the items together in Column 19 (IV) meant for entering the "Description of goods" and the officers are assessing the Bills of Entry in the same format. The Forms prescribed in the Public Notice 04/2021 dated 18.02.2021 allows for filing of item-wise details separately by entering the number of items included in each HAWB in the Column 18.

3. ई सी सी एस मॉड्यूल सभी एच ए डब्ल्यू बी(HAWB)(स्क्रीन शॉट संलग्न) में स्थित अतिरिक्त सामग्री को प्रविष्ट करने का प्रावधान करता है। बल्क(एक साथ) अपलोड की सुविधा में भी इसी प्रकार की सुविधा है। सार्वजनिक सूचना संख्या 06/2023 दिनांक 28.03.2023 में हितधारकों का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया गया है।

The ECCS Module has the provisions to enter Additional Items in each HAWB (Screenshot enclosed). The bulk upload facility also has similar

facility. The matter is brought to the attention of the stakeholders in Public Notice No.06/2023 dated 28.03.2023.

4. अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि, हितधारक निर्धारित फॉर्मेट में ही बिल ऑफ एंट्री करे तथा उसका मूल्यांकन तदनुसार ही किया जाए। इससे किसी प्रकार के विचलन को सख्ती से देखा जाएगा।

Officers are directed to ensure that the stakeholders file the Bills of Entry in the prescribed format and assessments are carried out accordingly. Any deviation will be viewed seriously.

5. सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई के होने पर इसे सीमा शुल्क अपर/ संयुक्त आयुक्त, एयर कार्गो कांप्लेक्स, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेडुंबाश्शेरी को सूचित किया जाए।

Any difficulty in the implementation of this Public Notice should be reported to the Additional/Joint Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Cochin International Airport, Nedumbassery.

(पी. जयदीप, भा.रा.से. P. JAIDEEP, IRS)
सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रति To

1. सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरूवनंतपुरम जोन
   The Chief Commissioner of Customs, Thiruvananthapuram Zone
2. अपर/ संयुक्त आयुक्त, एयर कार्गो कांप्लेक्स, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेडुंबाश्शेरी
   The Addl/Joint Commissioner, Air Cargo Complex, Cochin International Airport, Nedumbassery
3. सभी उप/सहायक आयुक्त, कूरियर टर्मिनल, कोचिन All Deputy / Assistant Commissioners, Courier Terminal, Cochin.
4. मेसर्स सी आई ए एल, कोचिन M/s.CIAL, Cochin
5. अधिकृत कूरियर्स, कोचिन आई सी टी Authorised Couriers, Cochin ICT.
6. ई डी आई अनुभाग को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु EDI for uploading in the website.
7. सूचना पट्ट Notice Board